

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 249] नई दिल्ली, बुध्दिवार, अगस्त 24, 1978/भाद्र 2, 1900  
No. 249] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 1978/BHADRA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

विस्तृत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1978

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 427(अ.).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के शीर्ष सं. 1 के अन्तर्गत आने वाली

तुरन्त काफी (इंस्टैंट काफी) को, जब उसका निर्यात भारत से बाहर किया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उस पर उद्भवणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1979 तक प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 166/फा. सं. एस./16/78-टी आर यू]

जोसेफ डॉमिनिक, भवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 1978

**CUSTOMS**

**G.S.R. 427(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Instant Coffee, falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st August, 1979.

[No. 166/F. No. S. 16/78-TRU]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.